भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4010
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: दलहन की खरीद

4010. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत दलहनों की खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का राज्य-बार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत दलहन की खरीद शुरू कर दी गई है और यदि हां, तो देश में खरीदी गई दलहन की मात्रा का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो दलहन की खरीद शुरू करने की योजना के संबंध में समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहित किए जा रहे जलवायु अनुकूल बीजों में स्थानीय बीज किस्मों के लिए सहायता शामिल है और यदि हां, तो सामुदायिक बीज बैंकों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत प्रजनक और प्रमाणित बीजों को शामिल किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने विशेषकर आन्ध्र प्रदेश जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों में ऐसे बीजों की स्थिरता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 1 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में दलहन में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, यह मिशन राज्यों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के मानदंडों

के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) द्वारा वर्ष 2030-31 तक सभी पंजीकृत और इच्छुक किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद में भी सहायता करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान दलहन की खरीद का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर है। वर्ष 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश में दलहन की खरीद का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(घ) और (ङ): दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जलवायु-अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इन किस्मों को फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन (एफएलडी) में शामिल किया गया है और किसानों के प्रशिक्षण और फील्ड डे के माध्यम से इनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दलहन मिशन के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से दलहन किसानों को विभिन्न प्रयासों जैसे कि ब्रीडर सीड उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ब्रीडर सीड और प्रमाणित बीज उत्पादन को दलहन मिशन में शामिल किया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में तेजी लाई जा सके और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इससे सीड रिप्लेसमेंट रेट और वराइटल रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होती है। मिशन के तहत बीज उत्पादन और वितरण के लिए सहायता का विवरण **अनुबंध-III** पर है।

(च): अनुकूलन क्षमता और उपज स्तर का आकलन करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना परीक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में, वर्ष 2024-25 के दौरान चने की फसल की किस्म एनबीईजी-857 के लिए 20 फ्रन्टलाइन डिमॉन्सट्रेशन आयोजित किए गए हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2025-26 के दौरान पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदी गई दलहन का राज्यवार खरीद विवरण

राज्य	**मात्रा मीट्रिक टन में**
आंध्र प्रदेश	101172
गुजरात	88319
कर्नाटक	60508
महाराष्ट्र	118826
राजस्थान	163311
तेलंगाना	2549
उत्तर प्रदेश	68105

अनुबंध-II

वर्ष **2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश में जिलेवार खरीद**

क्र.सं.	**जिला**	**मात्रा मीट्रिक टन में**
1	अनंतपुर	21575
2	बापटला	2756
3	कुरनूल	19449
4	नंदयाल	12177
5	पलनाडु	3904
6	प्रकाशम	13837
7	श्री सत्य साईं	13005
8	गुंटूर	1129
9	एनटीआर	1631
10	वाई.एस.आर. कडप्पा	11016
11	एलुरु	392
12	एसपीएसआर नेल्लोर	301
	कुल	**101172**

अनुबंध-III

बीज घटक के लिए दलहन मिशन के तहत सहायता का पैटर्न

घटक	सहायता का पैटर्न
ब्रीडर टू फाउंडेशन के लिए ब्रीडर सीड की खरीद	5 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के लिए बीज प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अंतिम रूप से तय की गई दरों के अनुसार प्रजनक बीज लागत पर 100 प्रतिशत (किस्मों की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के बाद 5 वर्ष पर विचार किया जाएगा)
प्रमाणन शुल्क	बीज निरीक्षण शुल्क पर 50% या अधिकतम 400 रुपये/हेक्टेयर (जो भी कम हो)
बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण	150 किसानों के बैच के लिए प्रति प्रशिक्षण 50,000 रुपये की दर से बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण
प्रमाणित बीज उत्पादन	i. 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर के अधीन (तुअर की 5 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के लिए) ii. उड़द, मसूर और अन्य (तुअर और चने को छोड़कर) की 5 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के लिए अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन 3,000 रुपये प्रति क्विंटल iii. 5 वर्ष से अधिक पुरानी चने की किस्मों के लिए अधिकतम 20,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन 1,800 रुपये प्रति क्विंटल
प्रमाणित बीज वितरण	5 साल से कम पुरानी किस्में -तुअर, उड़द, मसूर और अन्य (चने को छोड़कर) - लागत का 50% (या) 6,000/- रुपये प्रति क्विंटल (जो भी कम हो) -चना-लागत का 50% (या) 4,000/- रुपये प्रति क्विंटल (जो भी कम हो)
	5 वर्ष से अधिक पुरानी किस्में -तुअर, उड़द, मसूर और अन्य (चने को छोड़कर) - लागत का 50% (या) 3,000/- रुपये प्रति क्विंटल (जो भी कम हो) -चना- लागत का 50% (या) 2,000/- रुपये प्रति क्विंटल (जो भी कम हो)
